प्राथमिकता

संख्या–3545 / 9–आ–4–1999

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश ।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण, लखनऊ / देहरादून।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक 3 दिसम्बर, 1999

विषय :नजूल भूमि के फ्री–होल्ड की धनराशि हेतु लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कतिपय जनपदों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि पूर्व के पट्टेदार फ्री–होल्ड की कार्यवाही में रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप धनराशि जमा होने में कठिनाई आ रही है। अतः शासन ने निर्णय लिया है कि फ्री–होल्ड की कार्यवाही में गति लाने के उद्देश्य से निम्न बिन्दुओं पर कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :–

(1) जिन पट्टेदारों के पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है और उन्होंने नजूल नीति के तहत फ्री–होल्ड के लिये प्रार्थना पत्र नहीं दिया है तो इन्हें फ्री–होल्ड कराने हेतु नोटिस दी जाय। इसके पश्चात भी यदि फ्री–होल्ड नहीं कराया जाता है तो विधिक प्रक्रिया के अनुसार बेदखली की कार्यवाही करते हुए भूमि पर पुनर्प्रवेश किया जाय।

(2) रिक्त भूमि की नीलामी की जाय। यदि अनाधिकृत कब्ज़ें हों तो मुक्त कराये जायें। नीलामी की धनराशि आरक्षित धनराशि से कम न हो। यदि नीलामी में निर्धारित धनराशि से कम बोली लगती है तो भूमि की पुनः नीलामी कराई जाय।

(3) फ्री–होल्ड कराने के लिये जनता में समुचित प्रचार तथा प्रसार किया जाय एवं पट्टेदारों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कठोरता से अनुपालन करें, जिससे कि लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव हो सके।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।